



**प्रेस विज्ञप्ति**

**1/9/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 28/08/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मोहम्मद मुनव्वर खान और उनकी पत्नी श्रीमती फैका ताहा खान की लगभग 4.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्तियां श्रीमती खादर उनिसा और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियां बंजारा हिल्स, टोलीचौकी और शमशाबाद में स्थित हैं।

ईडी ने महेश्वरम पुलिस स्टेशन द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ 13.01.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 83/2023 के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर दस्तावेजों की जालसाजी और सरकारी राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी से जुड़ी सरकारी जमीन की अवैध बिक्री के संबंध में दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि सर्वे नंबर 181, नगरम गांव, महेश्वरम मंडल में स्थित सरकारी भूमि/भूदान भूमि पर श्रीमती खादर उनिसा और उनके बेटे मोहम्मद मुनव्वर खान ने पैतृक संपत्ति के रूप में झूठा दावा किया था; राजस्व रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से उत्परिवर्तन किया गया था और भूमि के टुकड़ों को कई बिचौलियों के साथ मिलकर कई पक्षों को बेच दिया गया था। इन बिचौलियों ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में जालसाजी की और भूमि राजस्व रिकॉर्ड को धोखाधड़ी से बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त भूमि को निषिद्ध सूची से हटा दिया गया और बाद में इसे कुछ निजी पक्षों को बेच दिया गया। सरकारी भूमि/भूदान भूमि को अवैध रूप से बेचकर, श्रीमती खादर उनिसा और उनके बेटे मोहम्मद मुनव्वर खान ने अवैध रूप से 6.45 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) अर्जित की।

आगे की जांच जारी है।